



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४१

पटना, बुधवार,

१६ आश्विन १९४७ (१०)

८ अक्टूबर २०२५(ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

०५-०७

०८-०९

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

श्रम संसाधन विभाग

आदेश

3 अक्टूबर 2025

सं० एसीस-01/नि०-57/2025-17—बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ तथा चिकित्सा स्थापना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है।

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक-16.09.2025 में लिये गये निर्णय के आलोक में सोसायटी की निधि के व्यय से संबंधित वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी	अनुमोदित वित्तीय शक्ति
1.	प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहार।	₹ 50,000 /- तक
2.	क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।	₹ 50,001 /- से ₹ 2,00,000 /- तक
3.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी।	₹ 2,00,001 /- से ₹ 20,00,000 /- तक
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी।	₹ 20,00,001 /- से ₹ 50,00,000 /- तक
5.	कार्यकारिणी समिति।	₹ 50,00,001 /- से ₹ 1,00,00,000 /- तक
6.	शासी निकाय।	₹ 1,00,00,001 /- से उपर

आदेश से,
दीपक आनंद, सचिव।

अधिसूचना

3 अक्टूबर 2025

सं० एसीस-01/नि०-33/2024-823—बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ तथा चिकित्सा स्थापना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है।

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के नियम एवं विनियमावली की कंडिका 13.1 एवं 13.2 तथा शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक: 16.09.2025 में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी की कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र०	विवरण	पदनाम
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
4	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सदस्य सचिव
5	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिहार सरकार	सदस्य

6	श्रीमती साक्षी मनकानी (शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट नियोक्ताओं के प्रतिनिधि)	सदस्य
7	श्रीमती सिम्पी कुमारी (शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रतिनिधि)	सदस्य
8	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग पटना-800001	सदस्य
9	राज्य चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग पटना-800001	सदस्य

- (2). कार्यकारिणी समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्य का कार्यकाल शासी निकाय में उनके कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।
- (3). कार्यकारिणी समिति, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियमावली के प्रावधानों एवं शासी निकाय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। यह दैनंदिन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगी और शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करेगी।
- (4). कार्यकारिणी समिति अपनी बैठकों के लिए समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों का सहयोजन और/या विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द, सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2025

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-120/2015-1487—श्री सौरभ सिंहा, ईख पदाधिकारी, पूर्णिया जिन्हे ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है के अवकाश अवधि/अनुपस्थिति अवधि के लिए निम्नवत् पदाधिकारी को कार्यहित में उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
01	श्री राहुल कुमार	ईख पदाधिकारी मातिहारी।	ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पुनम कुमारी, उप-सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर 2025

सं० 06(स०) विविध (रसायन निगम)-22/2019-4551—श्री वृज किशोर चौधरी, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण एवं श्री मुकेश रंजन, सहायक उद्योग निदेशक के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप उद्योग विभाग अंतर्गत विभिन्न निगमों के निदेशक पद में निदेशक तथा निगमों में अंशधारक हेतु निम्न पदाधिकारियों को अगले आदेश तक नामित किया जाता है।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम /पदनाम	निगम के निदेशक पद में निदेशक	निगम में अंशधारक
1	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	1. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, पटना (BSIDC) 2. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, लि०, पटना। (BICICO)	1. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, पटना (BSIDC) 2. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, लि०, पटना। (BICICO)
2	श्री आशीष कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	1. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, लि०, पटना (BICICO) 2. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, पटना (BSIDC) 3. बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, लि०, पटना (Bihar State Handloom & Handicraft Corp.) 4. बिहार राज्य वित्तीय निगम, लि०, पटना (BSFC) 5. बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम, लि०, पटना (Bihar State Pharmaceutical & Chemical Dev. Corporation Ltd.)	1. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, लि०, पटना (BICICO) 2. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, पटना (BSIDC) 3. बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, लि०, पटना (Bihar State Handloom & Handicraft Corp.)

पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 29—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 982—I, ABHA Chauhan w/o Manish Chauhan Chandpur Bela Patna-800001 declare vide affidavit no. 8730 dated 31.07.2025 shall be known as Abha Kumari to all purposes.

ABHA Chauhan.

No. 983—KHUSHBOO DEVI, W/o- Vijay Kumar, R/o- Naujar Ghat Diwan Mohalla, P.S.- Khajekala, P.O- Jhauganj, District- Patna, Bihar- 800008 do hereby declare that SHUBH KUMAR is my Minor Son. SHUBH KUMAR'S Birth Certificate in my is written as KHUSHBOO KUMARI & Aadhar Card in my name is written as KHUSHBOO DEVI. That KHUSHBOO DEVI and KHUSHBOO KUMARI both are same and one person Now I shall be known as KHUSHBOO DEVI for all purposes. Afdt no-512 Date-21.08.2025.

KHUSHBOO DEVI.

No. 984—I, Hipapu Kumar S/o Rajo Mahto R/o Turkaijani Turan Aijani, Lakhisarai, Bihar 811302 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 839 dt. 13.06.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Mahto Hippu Kumar Rayo. Whereas in Pan Card, Elecation Id and Driving Licence my name is written as Hipapu Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Hipapu Kumar for all purposes.

Hipapu Kumar.

No. 985—I SANJEEV KUMAR, S/o. PARAS THAKUR, Vill-Magadh colony, District-Gaya Bihar 823001 hereby affirm and declare as follows as per Affidavit No. 2162, dated-05.07.2025. That NIRAJ KUMAR is my Son. That in NIRAJ KUMAR's 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as SANJEEV THAKUR. That in my aadhar card my name mentioned as SANJEEV KUMAR. That I shall be known as SANJEEV KUMAR for all purposes.

SANJEEV KUMAR.

No. 1003—I RITU KUMARI W/o Chandrakant Mishra R/o-Ward no-5 Asogi Chhapra Dhani, Sheohar, Bihar- 843334 hereby affirm and declare as follows vide Affidavit no. 1404 dated 25.08.2025. That RASHMI KUMARI is my daughter. That in RASHMI KUMARI's matriculation all educational certificates my name is wrongly mentioned as RITU MISHRA. That my correct name is mentioned in my aadhar card as RITU KUMARI. That in place of RITU MISHRA I will be known as RITU KUMARI for all purposes.

RITU KUMARI.

No. 1004—I, Pintu Kumar S/o Karmu Yadav R/o Vill-Kanpa, P.O.-Saidabad, P.S.-Rani Talab (Kanpa), Distt.-Patna, Bihar-801104 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 297, dt. 23.07.2025 that Beauty Kumari is my minor daughter, her name is written in Aadhar Card as Byuti Kumari whereas her name is written in 10th all educational documents as Beauty Kumari. Both name are same and one person. From now she will be known as Beauty Kumari for all purposes.

Pintu Kumar.

No. 1005—I, Kumari Ruby Ranjan, W/o Manoj Kumar Singh, R/o 103, Lakhipur, Bigha, Bakhtiyarpur, Doman, P.O.-Doma, P.S.-Salimpur, Distt.-Patna-803202, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2219 dt. 22.07.25 that my name is written in my minor son Prince Raj's CBSE Class 10th all educational documents as Ruby Kumari Ranjan. As per Aadhar Card my correct name is Kumari Ruby Ranjan. Both names are same and one person. From now I will be known as Kumari Ruby Ranjan for all purposes.

Kumari Ruby Ranjan.

No. 1006—I, Ravishankar Kumar S/o Late Kamta Prasad Singh, R/o 87 Someshwar Nath Colony, Behind R.N. College Yusufpur, Ward No.-31, Hajipur Vaishali, Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2896 dt. 28.07.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Ravi Chauhan alais Ravi Shankar Kumar. Both Names are same and one person. That from now I will be known as Ravishankar Kumar for all purposes.

Ravishankar Kumar.

No. 1007—I, Raj Grihi Singh S/o Late Ram Lochan Singh R/o Giridhar Baraw, P.S.-Murar Distt.-Buxar, Bihar-802127 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 531 dt. 11.08.25 that my name is written in my Aadhar card as Raj Girihi Singh whereas in Pan card and service record Raj Grihi Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Raj Grihi Singh for all purposes.

Raj Grihi Singh.

No. 1008—I, Ganesh Kumar, S/o Ashok Kumar Gupta, R/o Vill-Shreerampur, Post.+P.S.-Bihta, Distt.-Patna, Bihar-801103 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1089, dt. 02.09.2025 that my name is written in my minor son Ayan Gautam's school Id is written in Ganesh Prasad, Whereas in Aadhar Card written as Ganesh Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Ganesh Kumar for all purposes.

Ganesh Kumar.

No. 1009—I, Madan Kumar Prasad, S/o Kishnath Prasad, R/o Village-Shakpur, P.O.-Shakra, P.S.-Tarwara, Distt.-Siwan, Bihar-841506 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 24 dt. 01.04.2025 that my name is written in Aadhar Card as Madan Kumar, whereas in educational documents written as Madan Kumar Prasad. Both names are of one and same person. From now I will be known as Madan Kumar Prasad for all purposes.

Madan Kumar Prasad.

No. 1010— I, Jitendra Kumar S/o Ram Prakash Mahto, Rio Batana, P.O.-Udaypur, P.S.-Rosera, Distt.-Samastipur, Pin-848210, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8897 dt. 11.04.25 that my name is written in my daughter Neha Kumari's 10th all educational documents as Jitendra Mahto. As per Aadhar Card, Pan Card and election Id my correct name is Jitendra Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Jitendra Kumar for all purposes.

Jitendra Kumar.

No. 1011— I, ANIRUDH Kumar Parmanand Singh son of Parmanand Singh residing at Manik Chand Talab, PO-Anishabad, PS -Gardanibagh, Patna-800002, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as follows:- That my name is Anirudh Kumar mentioned in record of 10th, 12th certificate, Aadhaar Card, Pan Card and in PRAN. That my name is Anirudh Kumar Parmanand Singh mentioned in record of M.B.B.S and M.S(Orthopedics) Certificate. That Anirudh Kumar Parmanand Singh and Anirudh Kumar both are the same and one person. That from now I will be known as Anirudh Kumar for all purposes. Affidavit. no. 3270 dated 20.09.2025.

ANIRUDH Kumar Parmanand Singh.

No. 1013—I, AKSHAY Kumar S/o Late Ram Suresh Ram R/o AT Khata no.-26, Bramsthan Near Camford School, Kurthaul, PS-Parsa Bazar, Patna declare vide affidavit no. 11657 dated 13.09.25 my son Arnav will be known as Arnav Shashank.

AKSHAY Kumar.

No. 1014— I, Jahanvi, D/o Vikas Kumar, R/o- Flat No.-304, Indra Enclave Janakpuri Vidhi Nagar Gola Road, Danapur Cum Khagaul, Danapur Cantt., Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 156 dt. 01.09.2025. That my name is written in my all educational and other documents as Jahanvi. That from now I shall be known as Jahanvi Singh Bhardwaj for all purposes.

Jahanvi.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 29—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 15/पी 5-09/2015—3239

शिक्षा विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर 2025

विषय:—बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार सुशासन कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत 12वीं (Polytechnic एवं ITI के लिए 10वीं) कक्षा उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं—को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 02 अक्टूबर, 2016 से संचालित है। दिनांक—01.09.2025 तक 3,92,339 आवेदकों को कुल—7,887.92 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना को और भी अधिक सरल, सुगम एवं सहज बनाने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को इस योजना से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कराने और GER की दर बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना के विभिन्न प्रावधानों में निम्न परिवर्तन किया जाता है:—

1. इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण (शैक्षणिक शुल्क, रहने, जीवन यापन, पाठ्य सामग्री एवं लैपटॉप सहित) अधिकतम 4 लाख रुपये तक, पर सरल ब्याज की दर 4 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर पर ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा वैसे सभी आवेदक जो पूर्व से शिक्षा ऋण प्राप्त किये हैं अथवा प्राप्त ऋण राशि वापस कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा ऋण की अधिशेष राशि (ब्याज रहित) वापस करनी है। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या—617 दिनांक—28.03.2018 की कंडिका—8 में परिवर्तन किया जाता है।

2. इस योजना के अंतर्गत Moratorium अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख रुपये तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों (5 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) में तथा 2 लाख के उपर के ऋण राशि को 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तों (10 वर्ष) में वापस किया जा सकेगा। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0—617 दिनांक—28.03.2018 की कंडिका—11 में परिवर्तन किया जाता है।

3. यदि आवेदक का पाठ्यक्रम अवधि अथवा Moratorium अवधि अथवा मासिक किस्त भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु हो गयी है अथवा होती है, तो भुगतान की गयी ऋण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित माफ की जाएगी। परन्तु,

यदि मृत आवेदक, उसके सह-आवेदक अथवा अभिभावक द्वारा मूलधन एवं ब्याज की राशि का जो भी किस्त जमा कर दिया है, तो उसके अतिरिक्त मात्र अधिशेष राशि को ही माफ किया जाएगा। तदनुसार विभागीय संकल्प सं०-617 दिनांक-28.03.2018 की कंडिका-11 में परिवर्तन किया जाता है।

4. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत शरण, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>